भारत संघ व अन्य

बनाम

अमरसिंह

नवंबर 23, 2007

(तरुण चटर्जी व पी0 सदाशिवम, जेजे.)

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 के नियम 42, 14 व 27 - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनिमय 1949 - धारा 11 व 18 - सीआरपीएफ कांस्टेबल को जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सेवा में प्रवेश करने के लिए बर्खास्त किया गया - पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रार्थना की गई - विचारणीय न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुमत किया गया - उच्च न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील को आरंभ में ही यह अभिनिर्धारित कर खारिज किया गया कि सीसीएस (पेंशन) नियम का नियम 24 प्रत्यर्थी की सेवा शर्तों को नियंत्रित नहीं करता है - अभिनिर्धारित किया गया कि सीआरपीएफ नियमों का नियम 42 जो यह प्रावधानित करता है कि सीआरपीएफ कर्मियों/बलों पर भी सिविल सेवा नियम अथवा पेंशन नियम लागु होते हैं, को उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया - उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला कि सीसीएस पेंशन नियम लागू नहीं होंगे और गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त नहीं किया - प्रकरण को नये सिरे से गुणावगुण पर निस्तारित करने हेतु पुनः प्रेषित किया गया - केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 - नियम 24

यहां प्रत्यर्थी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल के रूप में नामांकित किया गया था। सेवा में प्रवष्टि के 29 वर्षों से भी अधिक समय बाद, यह पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा फर्जी विद्यालय परित्याग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सेवा में प्रवेश किया गया था। उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 के नियम 11 (1) सहपठित

नियम 27, सीआरपीएफ नियम 1955 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सेवा से बर्खास्त किया गया। प्रत्यर्थी ने सेवा बर्खास्तगी के आदेश को निरसित किए जाने व पिछली प्रदान की गई सेवा के लिए पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया। विचारण व प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने सेवा बर्खास्तगी आदेश की वैधता को सही ठहराया परंतु प्रत्यर्थी को पेंशन लाभ देने हेतु आदेशित किया। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सीसीएस पेंशन नियमों का नियम 24 प्रत्यर्थी की सेवा शर्तों पर लागू नहीं होता है व आरंभ में ही द्वितीय अपील को खारिज कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील अनुमत करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनिमय 1949 व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 प्रत्यर्थी पर लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 18 के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 बनाए गए हैं। नियम 42 जो पुलिस बल में सेवा के लिए पेंशन व ग्रेच्युटी के नियम उपबंधित करता है, व यह स्पष्ट करता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों/बल पर भी सिविल सेवा विनियम व पेंशन नियम लागू होते हैं। (पैरा 9)(503-एफ,जी;504-डी)

1.2 यह प्रकट हुआ कि केंद्रीय पुलिस बल नियम 1955 का नियम 42 उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया। चूंकि उच्च न्यायालय ने मात्र इस आधार पर द्वितीय अपील को खारिज किया है, ऐसे में प्रकरण को पक्षकारों के दावों का गुणावगुण पर विचार करने हेतु उच्च न्यायालय को प्रेषित करना उचित है। (पैरा 9)(503-एफ,जी)

2. प्रत्यथी के इस दावे के संबंध में कि बर्खास्तगी/सेवा से हटाए जाने के आदेश के बावजूद वह पिछली दी गई सेवाओं के लिए पेंशन व ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकारी है, यह न्यायालय इस प्रकरण को उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित करने के

अपने निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त नहीं कर रहा है। हालांकि यह दोहराया जाता है कि एक व्यक्ति जो साम्यता चाहता है, स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। यह भी कि साम्यता का क्षेत्राधिकार ऐसे व्यक्ति के प्रकरण में उपयोग नहीं किया जा सकता है जिसने धोखाधड़ी कर झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की हो। (पैरा 10)(503-सी,डी)

भारत संघ व अन्य बनाम गुलाम मोहम्मद [2005] 13 एसीसी 228; रामसरण बनाम पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ व अन्य [2006] 2 एससीसी 541; श्रीकृष्णन बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, [1976] 1 एससीसी 311 व मेजर जीएस सोढ़ी बनाम भारत संघ [1991] 2 एससीसी 371, संदर्भित किया गया।

3. जहां तक प्रत्यर्थी का यह तर्क है कि अधिकारियों को उसकी सेवा के 29 वर्ष 7 माह पश्चात् उसके विवरणों को सत्यापित करने का अधिकार नहीं था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस नियम का नियम 14 संबंधित अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति के विवरण उसी समय सत्यापित करने हेतु सक्षम बनाता है जिस समय वह बल में शामिल किया जाता है। नियम 14 के उप नियम (ए) में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शिक्षा का झूठा तथा जाली प्रमाण पत्र तुरंत सत्यापित किया जाना है। दूसरी ओर, वह व्यक्ति जो रोजगार चाहता है यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यताओं व समुदाय आदि के बारे में प्रमाणीकृत (सत्य प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करें। (पैरा11) (505-ई,जी,एच;506-ए)

4. उच्च न्यायालय द्वारा यह गलत निष्कर्ष निकाला गया कि सीसीएस (पेंशन) नियम लागू नहीं होंगे व गुणावगुण पर विचार नहीं किया गया। अतः प्रकरण पुनः नये सिरे से निस्तारित करने हेतु उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। (पैरा12)(506-बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: 2007 का सिविल अपील संख्या 5367

पंजाब व चंडीगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 2004 के आरएसए संख्या 3891 में पारित निर्णय आदेश दिनांकित 27.09.2004 से व्युत्पन्न।

बीनू टम्टा (सुषमा सूरी की ओर से) अपीलार्थी की ओर से।

श्वेता कपूर (अनीस अहमद खान की ओर से) प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का यह निर्णय न्यायमूर्ति पी0 सदाशिवम द्वारा सुनाया गया।

(1) अनुमति दी गई।

(2) इस अपील में भारत संघ व उनके पदाधिकारियों द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.09.2004 के निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी की सेवाएं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (संक्षेप में अधिनियम) से नियंत्रित होती है व केंद्रीय सेवा पेंशन नियम, 1972 का नियम 24 सेवा शर्तों को नियंत्रित नहीं करता है व क्षेत्राधिकार से बाहर है।

(3) संक्षेप में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार हैः-

यहां प्रत्यर्थी दिनांक 28.02.1968 कों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल के रूप में नामांकित हुआ था। नामांकन के समय उसने अपनी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। 29 साल 7 महीने की सेवा पूरी होने के बाद, पेंशन के संबंध में सेवा निर्धारित करने हेतु उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा सत्यापित करने के दौरान वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा यह देखा गया कि उनके विद्यालय परित्याग के प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि में बिना किसी अधिकारिता के संशोधन किया गया है। अतएव वेतन एवं लेखा कार्यालय में ओसी गुणगांव को प्रत्यर्थी के विद्यालय परित्याग के प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता को सत्यापित करने और स्कूल अधिकारियों से प्रत्यर्थी की वास्तविक

जन्मतिथि की जानकारी देने का निर्देश दिया। स्कूल प्राधिकारियों ने अपने पत्र क्रमांक ई-2/639 दिनांकित 26.08.1996 व पत्र दिनांकित 05.03.1997 के माध्यम से यह पुष्टि की कि विद्यालय परित्याग का प्रमाण पत्र जाली एवं फर्जी है और उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। स्कूल प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्यर्थी के विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया गया। फलस्वरूप दिनांक 05.05.1997 को श्री पूरण सिंह, सहायक कमांडेंट को आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच पूरी होने पर जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पाया कि अपराधी के विरुद्ध लगाए गए आरोप अभियोजन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं साथ ही बचाव साक्ष्य को सबूत के रूप में उद्धृत किया गया और यह स्थापित किया गया कि नामांकन के समय उनके द्वारा प्रस्तुत विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र फर्जी था, जिसकी पुष्टि संबंधित विद्यालय द्वारा भी की गई। जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रत्यर्थी को प्रदान की गई थी जिसमें उसका विरोध, यदि कोई हो, 15 दिवस के भीतर मांगा गया था, लेकिन उन्होंने विचारार्थ कुछ भी नया प्रस्तुत नहीं किया।

प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित होने के बाद दिनांक 20.09.1997 को उसे अधिनियम की धारा 11 (1) सहपठित नियम 27 सीआरपीएफ नियम 1955 के तहत दोषी पाया गया व सेवा से हटा दिया गया।

बर्खास्तगी आदेश से व्यथित होकर, दिनांक 01.02.2000 को, प्रत्यर्थी ने न्यायालय सिविल जज (सीनियर डीविजन नारनौल) में एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ प्रार्थना की कि बर्खास्तगी का आदेश खराब और अधिकार क्षेत्र के बिना किया गया था और उसे पेंशन व सेवा निवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएं।

विद्वान सिविल जज ने दिनांक 22.10.2002 को प्रत्यर्थी का मुकदमा पर यह

कहते हुए निर्णीत किया कि बर्खास्तगी आदेश विधिनुसार पारित किया गया था, परंतु वह पेंशन, ग्रेच्यूटी, भविष्य निधि आदि का हकदार था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने जिला न्यायालय नारनौल में सिविल अपील संख्या 418, 2002 प्रस्तुत कर उक्त निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की। विद्वान जिला न्यायालय ने आदेश दिनांकित 28.02.2004 द्वारा अपीलकर्ताओं की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय सही था व साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन व विधि के उचित अनुप्रयोग पर आधारित था तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सीसीएस पेंशन नियम 1972 की धारा 2 व उक्त नियमों के नियम 24 प्रत्यर्थी पर लागू नहीं होंगे, जो कि सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2004 का आरएसए नंबर 3891 प्रस्तुत किया। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.09.2004 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ताओं की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधीनस्थ अदालतों के आदेश में कोई खामी नहीं है और यह माना कि प्रत्यर्थी की सेवाएं अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित थी व केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का नियम 24 प्रत्यर्थी की सेवा शर्तों पर लागू नहीं होता है। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को आक्षेपित करते हुए विशेष अनुमति के माध्यम से उपरोक्त अपील दायर की है।

(4) अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री बीनू टम्टा व प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता कपूर को सुना गया।

(5) भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री बीनू टम्टा ने हमारा ध्यान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 व सीसीएस पेंशन नियम 1972 के सुसंगत प्रावधानों की ओर आकर्षित किया व यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है कि

सीसीएस पेंशन नियमों का नियम 24 प्रत्यर्थी पर लागू नहीं होगा तथा सीआरपीएफ नियमों में सेवा से हटाए जाने अथवा बर्खास्त किए जाने की दशा में पिछली सेवाएं जप्त होने के किसी प्रावधान के अभाव में, प्रत्यर्थी सेवा से बर्खास्तगी के उपरांत भी पेंशन लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। इसके विपरीत प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता कपूर ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को नियंत्रित करने वाले अधिनियम व नियमों में ऐसे किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में उच्च न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालयों का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दावे को खारिज करना सही था। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि सेवा से बर्खास्तगी के आदेश में पिछली सेवाओं के जप्त किए जाने के किसी विशिष्ट आदेश के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए, प्राधिकारियों को प्रत्यर्थी की पेंशन व अन्य लाभ जप्त करने का कोई अधिकार नहीं था।

(6) प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर ध्यानूपर्वक विचार किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत अनुलग्नकों और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

(7) उपरोक्त प्रश्न को उत्तरित करने से पूर्व पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को संदर्भित करना प्रासंगिक है जो निम्नानुसार हैः-

> ''हस्तगत प्रकरण के प्रत्यर्थी की सेवाएं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 द्वारा शासित होती हैं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 का नियम 24 प्रत्यर्थी की सेवा शर्तों को नियंत्रित नहीं करता है।
>
> अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत नहीं कर सके कि सेवा बर्खास्तगी के प्रकरण में किस नियम अथवा धारा के तहत प्रत्यर्थी की पिछली सेवाएं जप्त की जा सकती हैं।

इस अपील में विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित नहीं है।

मुझे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नारनौल द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28.02.2004 में कोई त्रुटि प्रकट नहीं हुई है।

खारिज किया जाता है।''

यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीश ने यह पाया कि सीसीएस पेंशन नियमों का नियम 24 प्रत्यर्थी की सेवा शर्तों को नियंत्रित नहीं करता है व विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकट ना होने से द्वितीय अपील को आरंभ में ही खारिज कर दिया।

(8) भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के ध्यान में लाए गए सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन उपरांत हम निम्नलिखित कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हैं:

(9) यह विवादित नहीं है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम 1949 तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 के प्रावधान प्रत्यर्थी पर लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 18 के आधार पर, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 बनाए हैं। उपरोक्त नियमों में, हम अध्याय आठवां व, इससे भी अधिक, नियम 42 जो बल में सेवा के लिए पेंशन व ग्रेच्युटी के बारे में प्रावधान करता है, से प्रभावित है। नियम 42 इस प्रकार है:

> ''**42** पेंशन - (ए) बल में सेवा के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी को सिविल सेवा विनियमन के अध्याय XV से XXI और XLVII और XLVIII, जैसे कि समय समय पर संशोधित किए गए हों, और भारत सरकार द्वारा के वित्त मंत्रालय के ज्ञापन संख्या एफ.3(1)ई (एसपीएल)/47, दिनांकित 17 अप्रैल, 1950 में प्रख्यापित नए पेंशन नियमों, जैसे कि समय समय पर संशोधित किए गए हों, में निहित प्रावधानों के

अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(बी) बल में सेवा के लिए नामांकित व्यक्तियों की पेंशन और ग्रेच्युटी केंद्रीय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा (ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति) नियम, 1936 व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के ज्ञापन संख्या एफ.3(1)ई (एसपीएल)/47, दिनांकित 17 अप्रैल, 1950, जैसे कि समय समय पर संशोधित किए गए हों, में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाएगी।"

उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कर्मियों/बल के लिए भी सिविल सेवा विनियम व पेंशन नियम लागू होते हैं। वास्तव में नियम 42 में यह स्पष्ट करने के अलावा कि बल में व्यक्तियों के लिए पेंशन व ग्रेच्युटी के संबंध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित सिविल सेवा विनियम व पेंशन नियमों के कुछ प्रावधान लागू होते हैं, कोई अन्य प्रावधान इसके बारे में नहीं बताता है। सीसीएस पेंशन नियमों का नियम 24 निम्न हैः-

"24. बर्खास्तगी या निष्काषन पर सेवा की जप्ती - किसी सरकारी कर्मचारी को किसी सेवा या पद से बर्खास्त करने या हटाने पर उसकी पिछली सेवा जप्त हो जाती है।"

यह प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रावधान विशेष रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 का नियम 42 उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया। चूंकि उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर द्वितीय अपील को खारिज कर दिया है, ऐसे में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क व वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को उच्च न्यायालय को दोनों पक्षों के दावों को गुणावगुण पर देखे जाने हेतु भेजना उचित है।

(10) भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के 2 नवीनतम निर्णयों, यथा भारत संघ व अन्य बनाम गुलाम मोहम्मद 2005 13 एसीसी 228 व रामसरण बनाम पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ व अन्य 2006 2 एससीसी 541 पर आश्रय करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि पेंशन व अन्य मौद्रिक लाभ का अधिकार तभी दिया जा सकता है जब नियुक्ति वैध व कानूनी हो। उनके अनुसार निचली अदालतों (विचारण न्यायालय व अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय) के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए व इस तथ्य के आलोक में कि प्रत्यर्थी जिसने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सेवा में प्रवेश किया, वह न्यायालय से किसी भी सहानुभूति या अनुग्रह या साम्यता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों यथा, श्रीकृष्णन बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, 1976 1 एससीसी 311 व मेजर जीएस सोढ़ी बनाम भारत संघ 1991 2 एससीसी 371 पर आश्रय करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि सेवा बर्खास्तगी/सेवा से हटाए जाने के आदेश के बावजूद प्रत्यर्थी उसके द्वारा प्रदत्त की गई पिछली सेवाओं के लिए पेंशन व ग्रेच्युटी का अधिकारी है। उच्च न्यायालय को यह प्रकरण पुनः सुने जाने के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए हम गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम दोहराते हैं कि जो व्यक्ति साम्यता चाहता है उसे स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि साम्यता के क्षेत्राधिकार का प्रयोग उस व्यक्ति के मामले में नहीं किया जा सकता है जिसने धोखाधड़ी करके झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की हो।

(11) प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान केंद्रीय रिजर्व पुलिस नियमों के नियम 14 की ओर आकर्षित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि जैसे ही कोई व्यक्ति बल में नामांकित होता है, यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह उसके संबंध में सत्यापन करे तथा उन्हें 29 वर्ष 7 माह की सेवा के पश्चात् यह करने का अनुमति नहीं

है। उक्त नियम इस प्रकार हैं:

> "14. सत्यापन - (ए) जैसे ही कोई व्यक्ति नामांकित होता है उसके चरित्र, पूर्ववृत्त, संबंध और उम्र का सत्यापन समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सत्यापन रोल उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को भेजा जाएगा जहां का भर्तीकर्ता निवासी है।''

उक्त नियम का अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि बल में नामांकन के बाद उसके चरित्र, पूर्ववृत्त संबंध और उम्र को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उक्त नियम संबंधित अधिकारियों को संबंधित व्यक्ति के बल में शामिल होते ही उसके संबंध में विवरण सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि शिक्षा का फर्जी व जाली प्रमाण पत्र तुरंत सत्यापित करना आवश्यक है जैसा कि नियम 14 के उप नियम ए में कहा गया है।

(12) हमारे निष्कर्ष और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि सीसीएस पेंशन नियम लागू नहीं होंगे तथा गुणावगुण पर कोई विचार नहीं किया है, हम उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को अपास्त करते हैं तथा इस प्रकरण को नये सिरे से निस्तारित करने हेतु उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित करते हैं। चूंकि उच्च न्यायालय ने आरएसए को आरंभ में ही खारिज कर दिया है तथा उपरोक्त वर्णित विधिक स्थिति के आलोक में, उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह दोनों पक्षों को अवसर देने के पश्चात् इस विवाद पर निर्णय करे। जैसा कि पहले कहा गया है, दोनों पक्ष अपने मामले को समर्थन करने वाली सभी प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत कर उच्च न्यायालय के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा यह उच्च न्यायालय पर है कि उक्त प्रकरण को शीघ्रता से निस्तारित करे।

(14) उपरोक्तानुसार इस हद तक सिविल अपील अनुमत की जाती है। कोस्ट को लेकर कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सबा परवीन काग़ज़ी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।